सं0सं0–6 / एन.–08–13 / 2017.....362 (6)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 महाजन,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव / प्राचार्य
राज्य में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित सभी
मान्यता प्राप्त नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालय / महाविद्यालय।

पटना, दिनांक: 19 / 04 / 2017

विषय :– राज्य के निजी क्षेत्र में संचालित मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के वेतनादि का भुगतान बैंक / आधार संख्या के माध्यम से किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग संस्थानों में कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान माह मई 2017 से उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाय एवं बैंक खाता आधार संख्या से भी जोड़ा जाए। उक्त संबंधी सूचना औचक जाँच के दौरान जाँच दलों को भी उपलब्ध कराया जाय।

नर्सिंग संस्थान के जाँच के दौरान यदि पाया जाता है कि शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों का वेतन भुगतान बैंक खाता के माध्यम से नहीं किया जा रहा है तो यह माना जाएगा कि कर्मी संस्थान का नियमित कर्मी नहीं है एवं संस्थान पर नियमानुकूल कार्रवाई कर संस्थान की मान्यता समाप्त की जा सकती है।

विश्वासभाजन,

16/4/17

(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना।